सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट- दिनांक 13.09.2025

03 अंतर्राज्यीय गौ तस्करों को इटावा पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 02 तमंचा 315 बोर, 05 जिन्दा व 04 खोखा कारतूस, 01 चाकू किया गया बरामद ।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन में इटावा पुलिस एसओजी/सर्विलांस एवं थाना बसरेहर पुलिस द्वारा संयुक्त रुप से की गयी कार्यवाही ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 11.09.2025 की रात्रि को थाना बसरेहर पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत संतोषपुर घाट नदी पुल पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी । इसी दौरान चितभवन की तरफ से एक ट्रक कन्टेनर आता दिखायी दिया । पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो चालक कन्टेनर को लेकर भदामई पुल की ओर तेजी से भगाने लगा । पुलिस टीम द्वारा उक्त वाहन का पीछा किया गया तो चालक कन्टेनर को सिरसा रोड पर बन रहे आईटीआई कॉलेज के पास खेतों मे उतार दिया तथा चालक एवं उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने मे सफल रहे पुलिस टीम द्वारा बरामद कन्टेनर की तलाशी ली गयी **तो कन्टेनर से कुल 22 गोवंश** बरामद हुये ।

उक्त बरामदगी के संबंध मे थाना बसरेहर पर मु0अ0सं0 86/2025 धारा 109(1)पु0मु0/325 बीएनएस व 3/5A/8 गौहत्या निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 207 एमवीएक्ट पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत थी ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 12/13.09.2025 की रात्रि को एसओजी/सर्विलांस एवं थाना बसरेहर पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भदामई पुल के पास नहर पटरी पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की सघन चैकिंग की जा रही थी । इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि 03 संदिग्ध व्यक्ति तुरैया पुल के पास खड़े है पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये मौके पर पहुचे तो पुलिस टीम को देखकर उक्त व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर अवैध तमंचों से फायर कर दिया । जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई । **जिसमें 01 अभियुक्त मोर सिंह के बायें पैर में गोली लगी जिसे घायल अवस्था में उसके 02 साथियों सहित भदामई पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया ।**

नोट:- गौ तस्करी में सन्लिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है ।

पुलिस पूछताछ:-

पकड़े गये अभियुक्तो से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करते हुये तलाशी ली गयी उनके कब्जे से 02 तमंचा 315 बोर, 05 जिन्दा व 04 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 चाकू बरामद किया गया । पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर यह तथ्य सामने आए है की भीलवाड़ा राजस्थान के गौ तस्कर घूम-घूम कर कुर्सी बेचने तथा मंडी में पल्लेदारी का काम करने की आड़ में स्थानीय लोगों की सहायता से गौ तस्करी के लिए आवारा गायों को इकट्ठा करते थे । जिनका संपर्क नूंह मेवात हरियाणा के गौ तस्करों से था । एकत्रित गायों को नूंह मेवात हरियाणा से डीसीएम कंटेनर बुलवाकर गौ तस्करी की जाती थी । नूंह मेवात के वांछित वसीम की गिरफ्तारी के उपरांत तस्करी के बाद गायों को कहां ले जाया जाता था । इसकी जांच की जा रही है ।

उक्त गिरफ्तारी एवं पुलिस मुठभेड़ के संबंध मे थाना बसरेहर पर मु0अ0सं0 87/2025 धारा 109 बीएनएस(पुलिस मुठभेड़) व धारा 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 87/2025 धारा 109 बीएनएस(पुलिस मुठभेड़) व धारा 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बसरेहर जनपद इटावा।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. मोर सिंह पुत्र बद्री प्रसाद बंजारा निवासी इन्द्रा कमुनीति हाल के पास बंजारा बस्ती भीलवाडा राजस्थान।
2. मोहर सिंह पुत्र बिहारी निवासी रामगंज कोठी कोटा राजस्थान।
3. मुंशी लाल पुत्र कन्नीराम निवासी कोदू कोटा थाना प्रतापपुर भीलवाडा राजस्थान।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त मोर सिंह बंजारा पुत्र बद्रीप्रसाद

1. मु0अ0सं0 4/25 धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 व धारा 109/190/191(2)/193(3) बीएनएस तथा धारा 3/25/27 आयुध अधि0, थाना किशनी, जिला मैनपुरी।
2. मु0अ0सं0 85/25 धारा 3/5/8 गोवध अधि0, थाना इन्दरगढ़, जनपद कन्नौज।
3. मु0अ0सं0 129/25 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना इन्दरगढ़, जनपद कन्नौज।
4. मु0अ0सं0 86/2025 धारा 109(1)पु0मु0/325 बीएनएस व 3/5A/8 गौहत्या निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना बसरहेर जनपद इटावा।
5. मु0अ0सं0 87/2025 धारा 109 बीएनएस(पुलिस मुठभेड़) व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बसरेहर जनपद इटावा।

अभियुक्त मुंशी बंजारा पुत्र कन्नीराम

1. मु0अ0सं0 248/21 धारा 5/8 गोवध अधि0, थाना ऊसराहार, जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 85/25 धारा 3/5/8 गोवध अधि0, थाना इन्दरगढ़, जनपद कन्नौज।
3. मु0अ0सं0 129/25 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना इन्दरगढ़, जनपद कन्नौज।
4. मु0अ0सं0 86/2025 धारा 109(1)पु0मु0/325 बीएनएस व 3/5A/8 गौहत्या निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना बसरहेर जनपद इटावा।
5. मु0अ0सं0 87/2025 धारा 109 बीएनएस(पुलिस मुठभेड़) व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बसरेहर जनपद इटावा।

अभियुक्त मोहर सिंह पुत्र बिहारी

1. मु0अ0सं0 85/25 धारा 3/5/8 गोवध अधि0, थाना इन्दरगढ़, जनपद कन्नौज।
2. मु0अ0सं0 129/25 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना इन्दरगढ़, जनपद कन्नौज।
3. मु0अ0सं0 280/23 धारा 307 भादवि, थाना सौरिख, जनपद कन्नौज।
4. मु0अ0सं0 281/23 धारा 3/25 आयुध अधि0, थाना सौरिख, जनपद कन्नौज।
5. मु0अ0सं0 180/24 धारा 3/5 गोवध अधि0 व धारा 11 पशु क्रूरता अधि0, थाना तालग्राम, जनपद कन्नौज।
6. मु0अ0सं0 248/11 धारा 3/5 गोवध अधि0, थाना सौरिख, जनपद कन्नौज।

7. मु0अ0सं0 86/2025 धारा 109(1)पु0मु0/325 बीएनएस व 3/5A/8 गौहत्या निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना बसरहेर जनपद इटावा।
8. मु0अ0सं0 87/2025 धारा 109 बीएनएस(पुलिस मुठभेड़) व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बसरेहर जनपद इटावा।

बरामदगी:-

1. 02 तमंचा 315 बोर।
2. 05 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
3. 04 खोखा कारतूस 315 बोर।
4. 01 चाकू

पुलिस टीम:-

प्रथम टीम:- उ0नि0 श्री वी0के0 सिंह प्रभारी एसओजी, उ0नि0 श्री नागेन्द्र चौधरी प्रभारी सर्विलास मय टीम।

द्वितीय टीम:- उ0नि0 श्री सौरभ सिंह थानाध्यक्ष बसरेहर मय टीम।